



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA (M.P.)
 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

क्र./आर/प्रशा./हर घर तिरंगा/2023/8/254

09 अगस्त 2023

// सूचना //

“हर घर तिरंगा”

सर्वसम्बंधित को सूचित किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में तथा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम दिनोंक 13 से 15 अगस्त 2023 तक विश्वविद्यालय में मनाया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक भवन/विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों/पुस्तकालय/केन्द्रों/छात्रावासों/शारीरिक शिक्षा विभाग/खेल परिसर/गौर जन्मस्थली/गौर अध्ययन केन्द्र/गौर भवन/विश्राम गृह/केन्द्रीय विद्यालय कं. 4 इत्यादि समस्त विश्वविद्यालयीन भवनों के समक्ष खुले स्थान पर दिनोंक 13 से 15 अगस्त 2023 तक ध्वज प्रबंधन स्वयं के स्तर पर करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना सुनिश्चित किया जाना है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में निवासरत् समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अतिथि शिक्षकगण, शोधार्थीगण एवं विद्यार्थियों के द्वारा भी दिनोंक 13 से 15 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से अपने-अपने निवास स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना सुनिश्चित किया जाना है।

- भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश की छायाप्रति पालनार्थ संलग्न है।
- तिरंगा ध्वज के साथ सेल्फी (फोटो) वेबसाइट www.harghartiranga.com पर संप्रेषित की जानी है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार,

कुलसचिव
09/8/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. समस्त अधिष्ठातागण (अध्ययनशाला/प्रशासनिक) निदेशकगण एवं विभागाध्यक्ष।
2. समस्त शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अतिथि शिक्षकगण, शोधार्थीगण एवं विद्यार्थीगण।
3. प्रभारी परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी वित्ताधिकारी/प्रभारी पुस्तकालयध्यक्ष।
4. प्रॉक्टर/चेयरमेन, कौंसिल ऑफ वार्डन्स एवं मुख्य प्रतिपालक (युवक एवं महिला छात्रावास)।
5. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-04।
6. प्रभारी संपदा अधिकारी/प्रभारी विश्वविद्यालय यंत्री।
7. प्रभारी सुरक्षा अधिकारी।
8. प्रभारी मीडिया अधिकारी।
9. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग।
10. निदेशक ई.एम.एम.आर.सी.।
11. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक/अधिकारी।
13. कुलपति जी के सचिव।
14. समस्त सूचना पटल

09/8/2023
समन्वयक,
हर घर तिरंगा कार्यक्रम



हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त 2023

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

- ✓ झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- ✓ इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लंबाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- ✓ झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- ✓ झण्डे तीन रंगों से सबसे ऊपरे केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- ✓ सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिंट किया जाना चाहिए।

झण्डा फहराने के नियम

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

- ✓ प्रत्येक नागरिक को झण्डा संहिता का अनुपालन।
- ✓ झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर।
- ✓ झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- ✓ दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- ✓ झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- ✓ विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- ✓ हर घर पर झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए।
- ✓ आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

सामार-स्वराज संचालनालय, संस्कृति, विभाग म.प्र. शासन के बोशर से

हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त 2023